न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : 04/2020 (अपील नामा)
GCMS No. 2020/00024

अनवान

1. श्री धुला पिता गांगला मीणा, निवासी बदातफला, बेड़ावल, हाल मुकाम कालीपोल, तहसील लसाड़िया, जिला–उदयपुर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. श्री भगवान पिता स्व. गांगा उर्फ गांगिया मीणा, निवासी बदातफला, बेड़ावल, तहसील लसाड़िया, जिला–उदयपुर

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित

1. श्री लोकेश गहलोत, अपीलान्ट अधिवक्ता।
2. श्री दिनेशचन्द्र मेघवाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट।
3. श्री भगवान पिता स्व. गांगा, रेस्पोडेन्ट।

अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956
अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 247 तहसीलदार सलुम्बर, आदेश दिनांक 04.02.2008

* निर्णय *

दिनांक– 12-03-2021

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा बेड़ावल, तत्कालीन पटवार हल्का बेड़ावल, भू.अ.निरीक्षक क्षेत्र झल्लारा, तहसील सलुम्बर, जिला उदयपुर मे खाता संख्या नया–59 व पुराना–58, जमाबंदी संवत् 2058 से 2061 मे स्थित थी, जिसके आराजी संख्या 1055 रकबा 0.1300 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1060 रकबा 0.0200 हेक्टेयर, आराजी संख्या 1664 रकबा 0.1300 हेक्टेयर एवं आराजी संख्या 1645 रकबा 0.2900 हेक्टेयर कुल किता 4 रकबा 0.5700 हेक्टेयर कृषि भूमि श्री गांगला पिता भेरा दादा कीका मीणा की खातेदारी आधिपत्य की स्थित हैं। उक्त भूमि के खातेदार श्री गांगला पिता भेरा दादा कीका मीणा का स्वर्गवास हो चुका है, जिसका एकमात्र विधिक वारिस उनका पुत्र अपीलान्ट है। अपीलान्ट के गांव बेड़ावल मे ही गांगा उर्फ गांगिया पिता भेरा मीणा नाम का एक और व्यक्ति हैं। उक्त दोनो व्यक्ति एक ही नाम के होने के कारण तत्कालीन पटवारी हल्का व अन्य राजस्व कर्मचारियों ने अपीलान्ट के पिताजी की जमाबंदी मे स्पष्ट तौर दादा का नाम भी अंकित कर दिया, ताकि भविष्य मे दोनो व्यक्तियों की जमीन को अलग–अलग पहचाना जा सके। रेस्पोडेन्ट द्वारा पटवारी हल्का

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:27 IST
Reason: SelfAttested

एवं सरपंच से गलत सजरा अंकित करा स्वयं को अपीलान्ट के पिता का पुत्र एवं रूपली को गांगला पिता भेरा दादा कीका मीणा की पत्नी होना अंकित करा अपीलान्ट की भूमि का नामान्तरकरण अपने नाम पर दर्ज करा लिया, जबकि मौके पर वर्णित भूमि पर आज भी अपीलान्ट का पीढी दर पीढी आधिपत्य चला आ रहा हैं। अपीलान्ट के परदादा का नाम कीका मीणा है एवं रेस्पोडेन्ट के परदादा का नाम डुंगा होकर दोनो की जमीन भी अलग अलग हैं। रेस्पोडेन्ट के पिता गांगा उर्फ गांगिया पिता भेरा के स्वर्गवास के बाद रेस्पोडेन्ट ने उनकी भूमि का विरासत का नामान्तरकरण संख्या 14 दिनांक 30.08.1998 आराजी संख्या 1099, 1100, 1101, 1102 एवं 1106 कुल किता 5 रकबा 0.3800 हेक्टयर एवं नामान्तरकरण संख्या 95 दिनांक 30.09.2003 आराजी संख्या 1341, 1344, 1347 एवं 1350 कुल किता 4 रकबा 0.5400 हेक्टेयर रेस्पोडन्ट के नाम स्वीकृत करा चुका है, जो वर्तमान मे रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज भी हैं। रेस्पोडेन्ट की माता सपली का स्वर्गवास हो चुका हैं। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास दिनांक 12.11.2011 को हो जाने से अपीलान्ट उनके हिस्से की भूमि का नामान्तरकरण स्वयं के नाम खुलवाने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क करने पर नामान्तरकरण संख्या 247 दिनांक 04.02.2008 को रेस्पोडेन्ट एवं उसकी माता के नाम खोले जाने की जानकारी हुई। वर्ष 2008 मे लसाड़िया, तहसील बन जाने से मौजा बेड़ावल के दो टुकड़े हो जाने से आराजी संख्या 1624 एवं 1645 कुल किता 2 रकबा 0.4200 हेक्टेयर राजस्व ग्राम बेड़ावल, तहसील लसाड़िया मे तथा आराजी संख्या 1055 एवं 1060 रकबा 0.1500 हेक्टेयर राजस्व ग्राम गंगानगर, तहसील लसाड़िया मे हैं। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कथित नामान्तरकरण को निरस्त किया जावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट एवं उनके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय मे उपस्थित होकर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध मे फर्द अहकाम पर ''नो ऑब्जेक्शन'' अंकित किया गया।

प्रकरण मे उभय पक्ष को सुना गया। पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील, नामान्तरकरण की प्रति एवं अन्य दस्तावेज आदि का अवलोकन किया एवं वर्णित तथ्यों पर गंभीरता से मनन किया। नामान्तरकरण संख्या 247 दिनांक 04.02.2008 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि नामान्तरकरण संख्या 247 मे अंकित आराजीयात कुल किता 4 रकबा 0.5700 हेक्टेयर भूमि का नामान्तरकरण श्री गांगला पिता भेरा दादा कीका मीणा के फोत हो जाने पर रेस्पोडेन्ट एवं उसकी माता के नाम खोला गया है, किन्तु अपील मे वर्णित अनुसार अपीलान्ट द्वारा स्वयं को स्व. श्री गांगला पिता भेरा दादा कीका मीणा का विधिक वारिस होना अंकित कराया गया, एवं इस तथ्य को रेस्पोडेन्ट द्वारा भी स्वीकार किया गया है एवं न्यायालय की फर्द पर ''नो आब्जेक्शन'' अंकित किया हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:27 IST
Reason: Self Attested

पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत गांगा पिता भेरा मीणा का मृत्यु प्रमाण पत्र अनुसार अपीलान्ट के पिता की मृत्यु 12.11.2011 को होने का उल्लेख है, जबकि नामान्तरकरण संख्या 247 दिनांक 04.02.2008 को मृत्यु से पूर्व ही रेस्पोडेन्ट एवं उसकी माता के पक्ष मे पारित किया जाना स्पष्ट हैं। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण होना परिलक्षित होने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 247 दिनांक 04.02.2008 पुनः जांच किये जाने योग्य पाया जाता है एवं ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त कर पुनः जांच उपरान्त नवीन सिरे से खोले जाने हेतु तहसीलदार को प्रति प्रेषित करना हम उचित समझते है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर मौजा बेड़ावल, तहसील सलुम्बर हाल तहसील लसाड़िया का अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार सलुम्बर द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 247 दिनांक 04.02.2008 को अपास्त किया जाता है एवं राजस्व ग्राम बेड़ावल वर्तमान मे तहसील लसाड़िया के क्षेत्राधिकार मे होने से प्रकरण तहसीलदार लसाड़िया को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को ध्यान मे रखते हुए उभय पक्ष को सुन कर, साक्ष्य सबूत प्राप्त कर, मृतक के विधिक वारिसान की नियमानुसार जांच कर नामान्तरकरण के संबध मे विधि सम्मत नवनिर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2021.04.01 11:10:27 IST
Reason: SelfAttested